आर टी आई मामला/समयबद्ध

फा. सं. II-18015/54/2014-एल डब्ल्यू ई.III
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(वामपंथी उग्रवाद प्रभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 26 जून, 2014

सेवा में

श्री संजय कुमार राम
गांव-कुरकुरी, डाकघर-बनकट
पुलिस थाना-अगियां
जिला-भोजपुर (आरा)
बिहार

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके दिनांक 01.05.2014 के आवेदन के तहत मांगी गई सूचना।

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपने दिनांक 01.05.2005 के आवेदन, जिसमें विशेष पुलिस अधिकारियों के बारे में सूचना मांगी गई है, के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 06 जून, 2014 के पत्र सं. 24013/126/2014-एस सी/एस टी-डब्ल्यू का अवलोकन करें।

2. उपर्युक्त आवेदन के तहत मांगी गई सूचना के संबंध में अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध सूचना निम्नानुसार है:-

2.1 विशेष पुलिस अधिकारियों को राज्य सरकारों द्वारा पुलिस अधिनियम, 1861 और राज्य सरकारों के अन्य संगत अधिनियमों के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। विशेष पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया जाना, उनकी तैनाती, उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व का निर्धारण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार केवल गृह मंत्रालय की सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना के अंतर्गत राज्यों को उनके मानदेय की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों की अधिकतम संख्या अनुमोदित करती है। वर्तमान में, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत प्रभावित राज्यों को प्रत्येक विशेष पुलिस अधिकारी को 2400/-रु. प्रति माह की सीमा के साथ मानदेय की, 80 प्रतिशत धनराशि, की प्रतिपूर्ति की जाती है। शेष राशि का वहन संबंधित राज्य सरकार करती है।

2.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई राज्य सरकार बिना गृह मंत्रालय के अनुमोदन से कानून के अनुसार विशेष पुलिस अधिकारी को नियुक्त कर सकती है। तथापि, गृह मंत्रालय की सुरक्षा संबंधी व्यय योजना की प्रतिपूर्ति केवल उन्हीं मामलों तक सीमित है जिनमें गृह मंत्रालय का अनुमोदन पूर्व में प्रदान किया गया हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई राज्य सरकार विशेष पुलिस अधिकारियों को स्वयं पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है किंतु सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति योग्य पारिश्रमिक, योजना के अंतर्गत तत्समय निर्धारित धनराशि तक ही सीमित होगा।

2.3 वामपंथी उग्रवादी हिंसा में मारे गए सिविलियनों और राज्य पुलिस कार्मिकों के परिवारों को मुआवजे के संबंध में राज्य सरकारों की अपनी स्वयं की नीति है। तथापि, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत केन्द्र सरकार अन्य बातों के साथ-साथ वामपंथी उग्रवाद की

...क्रमशः 2/-

हिंसा में मारे गए प्रत्येक सिविलियन को 1 लाख रु. तथा मारे गए प्रत्येक सुरक्षा कार्मिक को 3 लाख रु. की दर से नक्सली हिंसा के पीड़ितों के परिवार को अनुग्रह का भुगतान पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकारों को करती है।

3. अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत अपील, यदि कोई हो, इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर की जा सकती है और इस सूचना के संबंध में यह अपील श्री एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव, वामपंथी उग्रवाद प्रभाग, कक्ष सं. 193-ए/1, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को की जा सकेगी।

(रामबीर सिंह)
निदेशक (एल डब्ल्यू ई-I) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. डॉ. (श्रीमती) प्रवीण कुमारी सिंह, निदेशक (एस आर) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-II भवन, नई दिल्ली को दिनांक 06 जून, 2014 के पत्र सं. 24013/126/2014-एस सी/एस टी-डब्ल्यू के संदर्भ में।
2. अवर सचिव (आर टी आई), गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को दिनांक 15/05/2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई के संदर्भ में।
3. अनुभाग अधिकारी (आई टी सैल), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उपर्युक्त आर टी आई आवेदन की प्रति सहित दिनांक 23 अप्रैल, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-43020/61/2013-आर टी आई (पार्ट-I) के तहत जारी इस मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

RCN- 287694
06/06/14

To be issued in Hindi

-1-

RTI Matter

No.24013/126/2014-SC/ST-W
Government of India
Ministry of Home Affairs
5th Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road,
New Delhi, Dated the 06 June, 2014

Dir. NM I
14. 9/6

To,

Shri Sanjay Kumar Rai,
Village- Kurkuri, Post- Bankat,
Dist.- Bhojpur (Ara),
Bihar.

US (NM III) 9/6/14

SO(NM-II) 9/6

Subject: - Transfer of RTI application of Shri Sanjay Kumar Rai, Village- Kurkuri, Post- Bankat, Dist.- Bhojpur (Ara), Bihar under Section 6 (3) (i) of RTI Act- 2005.

I am to refer to your RTI application dated 01-05-2014 seeking some information under the Right to information Act, 2005, is transferred herewith to the Joint Secretary Naxal Division, Ministry of Home Affairs, New Delhi under the provisions of Section 6(3)(i) of the said RTI Act for taking appropriate action and direct reply to the applicant. It is requested to contact the above mentioned authority for further information in this regard.

As per the provisions of section 19 of RTI Act, 2005, the appellate Authority is Shri S. Suresh Kumar, Joint Secretary (CS), Ministry of Home Affairs, NDCC II Building, 5th Floor, Jai Singh Road, New Delhi.

Encl: as above.

6/2017

(Dr. (Smt.) Praveen Kumari Singh)
Director (SR)& CPIO
Tele: 23438133

Copy to:

1. The Joint Secretary, Naxal Division, Ministry of Home Affairs, North Block,New Delhi for appropriate action under RTI Act-2005.
2. Under Secretary, RTI, MHA, North Block, New Delhi for information.

520/NM-II
9/6

II-18015/54/2014-LWE.III

CR-27942/14 -2-

सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक : 15/5/ , 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री संजय कुमार राय का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री संजय कुमार राय के दिनांक: 01/05/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में .... से अंतरण द्वारा दिनांक: 5/05/2014 को प्राप्त) को पी-एम प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क ~~दिनांक....../....../2014 की रसीद सं. .... के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/~~ नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

संलग्नक : यथोपरि

सु. सामंत

(एस. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

① निदेशक (पी-एम आर)
गृह मन्त्रालय
जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली

② ~~Director (Police)~~ - 07/21/5
MHA
North Block

~~Director~~ (CSI)

21/5

US(CW)

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्री~~मती/सुश्री~~ संजय कुमार राय
ग्राम- कुरकुरी, पोस्ट - बनकट
जिला- भोजपुर (आरा)
बिहार

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

126

डी(आई)

SO (PM-II)

22/5/2014

SC/ST/W

-3-

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी सह गृह मंत्रालय
भारत सरकार नई दिल्ली

2621/RTI/MHA/2014
12/5/14

RTI

महाशय,

मैं संजय कुमार राम ग्राम कुरकुरी, पोस्ट-बनकट थाना-अगिआँव (ग) जिला-भोजपुर (आरा) राज्य-बिहार का अनुसूचित जाति और B.P.L परिवार से आता हूँ।
(1) माँगी सूचना का ब्यौरा- विशेष पुलिस पदाधिकारी (S.P.O) का बहाल किस नियमावली के अनुसार बहाल किया गया है। और कितना रूपया मासिक मिलता है। और स्थायी कब तक किया जाएगा उग्रवादी द्वारा या किस घटना में मर जाने पर उसके परिवार का कितना रूपया देने का प्रावधान है (2) किस नियमावली के तहत 3000 रूपया मिलता है। इससे पुरा परिवार का भरण पोषण चल सकता है। जिसमे एक मजदूर का दैनिक मजदूरी 152 रूपया मिलता है। जबकी S.P.O द्वारा थाना का सारा कार्य लिया जाता है। सारी जानकारी राष्ट्र भाषा हिन्दी में देने का कृपा प्रदान करे इसके लिए श्रीमान का सादा आभारी रहूँगा। जिसके रूप में B.P.L की छाया प्रति संलग्न है। जिसका क्रमांक सं०-12247 है।

संजय कुमार राम
1-5-2014

05 MAY 2014
2061-RL

Dir (PMR)

(सचिव)

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण [illegible]

2JN0707070026446

[illegible] हस्तान्तरणीय	अन्त्योदय अन्न यो[illegible]
सं.	0026446
जिला का नाम	भोजपुर
[illegible] माह -	07
[illegible] नाम	जून 13

14

खाद्यान्न की मात्रा - 14 कि. ग्रा. गेहूं

विक्रय मूल्य रु. 2-00 प्रतिकिलो

जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या सहित मुहर

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
लाभार्थी

हस्ताक्षर
ज.वि.प्र. विक्रेता

7179987

(प्रधान सचिव)

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण [illegible]

2JN0707070026446

[illegible] हस्तान्तरणीय	अन्त्योदय अन्न यो[illegible]
सं.	0026446
जिला का नाम	भोजपुर
[illegible] माह -	07
[illegible] नाम	जून 13

21

खाद्यान्न की मात्रा - 21 कि. ग्रा. चावल

विक्रय मूल्य रु. 3-00 प्रतिकिलो

जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या सहित मुहर

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
लाभार्थी

हस्ताक्षर
ज.वि.प्र. विक्रेता